



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-132

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271842 दिनांक 16/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Brahm Dutt Sharma S/o Badri Lal Sharma	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा	c-90	186.05 SQ. YARD	Cooperative	KUSUM VIHAR Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार के भूखण्ड संख्या सी-90 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज का समिति द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 04.08.1995 को श्री ब्रह्मदत्त शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड में से पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 93.33 वर्ग गज का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2008 के द्वारा श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 93.33 वर्ग गज को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 15.07.2024 के द्वारा श्री ब्रह्मदत्त शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा को कर दिया गया। आवेदक श्री ब्रह्मदत्त शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Brahm Dutt Sharma S/o Badri Lal Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।